न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

अपील संख्या 02/1998

अपीलांट
सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. सवाईसिंह खोले चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी मुंदियाड़ तहसील व जिला नागौर।
2. सवाईसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी मुंदियाड़ तहसील व जिला नागौर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत मुंदियाड़
4. नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राव निवासी मुंदियाड तहसील व जिला . नागौर।
5. देवकरण पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी शीलगांव तहसील व जिला नागौर।
6. दिनेश पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी शीलगांव तहसील व जिला नागौर।

अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 589 व 590 स्वीकृति दिनांक 25.07.1995 ग्राम पंचायत, मुंदियाड़ पंचायत समिति मूण्डवा

आदेश

दिनांक :- 29/1/18

1. अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत ग्राम पंचायत मुंदियाड़ पंचायत समिति मूण्डवा द्वारा ग्राम मुदियाड़ के नामान्तरकरण संख्या 589 व 590 पर पारित निर्णय दिनांक 25.07.1995 के विरूद्ध पेश की है।
2- अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह निवेदन किया है कि, ग्राम मुंदियाड के खसरा नम्बर 615 रकबा 6–18 बीघा, खसरा नम्बर 722 रकबा 23–15 बीघा व खसरा नम्बर 719/997 रकबा 2–02 बीघा भूमि चिमनसिंह पुत्र केसरसिंह कौम राजपूत निवासी मुंदियाड़ की थी और खसरा नम्बर 218 रकबा 30–08 बीघा भूमि चिमनसिंह पुत्र केसरसिंह व कानसिंह पुत्र हरीसिंह की तथा खसरा नम्बर 325 रकबा 13–01 बीघा, खसरा नम्बर 342 रकबा 14–02 बीघा, खसरा नम्बर 649 रकबा 7–19 बीघा, खसरा नम्बर 650 रकबा 12–06 बीघा, खसरा नम्बर 750 रकबा 5–19 बीघा व खसरा नम्बर 342/967 रकबा 13–04 बीघा चिमनसिंह पुत्र केसरसिंह व हरीसिंह, सवाईसिंह पिता दानसिंह कौम राजपूत साकिन मुंदियाड़ के नाम खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार चिमनसिंह पुत्र केसरसिंह का स्वर्गवास दिनांक 29.05.1993 को हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण संख्या 589 व 590 दर्ज कर वास्ते स्वीकृति ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया। ग्राम पंचायत मुंदियाड़ ने पटवारी हल्का

सहायक कलक्टर
(SDO) नागौर

Scanned by CamScanner

द्वारा भरे गये नामान्तरकरण संख्या 589 व 590 को अपने आदेश दिनांक 25.07.1995 से निर्णित कर गलत रूप से बिना कोई गोदनामा पंजीकृत करवाये मृतक खातेदार चिमनसिंह का उत्तराधिकारी बतौर गोदपुत्र बनाकर रेकर्ड में अंकन कर दिया। ऐसा अंकन भू राजस्व (भू. अ.) नियम 1957 के नियम 131 एवं 137 के अनुसार गलत होने से जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी घोषित करने तथा मृतक खातेदार के वास्तविक वारिस जेठू कंवर, सुवाकंवर, मनोहर कंवर, रामकंवर व सजनकंवर के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

3- अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत मुंदियाड़ का रेकर्ड तलब किया गया।

4- जैर अपील श्री नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राव निवासी मुंदियाड़, दिनेश व देवकरण पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी शीलगांव ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर अपने को इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होना बताते हुए पक्षकार रेस्पोडेन्ट के रूप में संयोजित कराने का निवेदन किया। श्री नरपतसिंह, देवकरण व दिनेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का न्यायालय हाजा द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.07.2011 को स्वीकार कर लिया और इन्हे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 के रूप में संयोजित करने के आदेश प्रधान किये गये।

5- रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से विद्ववान अधिवक्ता श्री कन्हैयालाल सुथार ने दिनांक 18.07.2017 को प्रारम्भिक आपत्तियां पेश कर बताया कि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सरकार को रिप्रजेन्ट करते हुए यह अपील पेश की है, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नही है। अपील में विधि अनुसार कोर्ट फीस नही है। अपील के संलग्न मियाद बाहर है तथा मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से सर्मथित नही है। अपील के साथ अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नही है। तहसीलदार नागौर विव्यथित पक्षकार नही होने से अपील प्रस्तुत करने की उसे लोकेश स्टैण्डाई नही है तथा तहसीलदार ने धारा 96 सीपीसी के तहत स्वीकृति नही ली है। अतः इन बिनाय पर अपील हाजा चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

6- जैर अपील सुवाकंवर पुत्री चिमनसिंह जाति राजपूत निवासी कुकडदा तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर व रामकंवर पुत्री श्री चिमनसिंह पत्नी श्री भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी कड़लू तहसील व जिला नागौर ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी का जरिये विद्ववान अधिवक्ता श्री भगवानसिंह राठौड़ के पेश कर निवेदन किया है वे इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अतः उन्हे इस प्रकरण में बतौर अपीलांट पक्षकार के रूप में संयोजित किये जावे।

7- श्रीमती सुवाकंवर व रामकंवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.12.2017 को विधि के विबंधकारी प्रावधानो के तहत बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज कर दिया।

8- अपील हाजा में प्रश्नगत अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड बार–बार तलब किये जाने के बावजूद भी रेकर्ड प्राप्त नही हुआ। ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने दिनांक 05.06.2012 के संलग्न कार्यभार हस्तान्तरण की सूचियां पेश कर बताया कि इस अपील में प्रश्नगत रेकर्ड उसके

Scanned by CamScanner

प्रभार में नही मिला है। प्रत्युत, रेकर्ड ग्राम पंचायत में मौजूद नही है। फलतः हमने गुणावगुण पर निर्णय विनिश्चय किया।

9- प्रकरण में बहस विद्ववान अधिवक्ता बहु पक्ष की ओर से सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से इस अपील के विरूद्ध की गई बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

1. आरआरडी 1961 पेज 174 रामेश्वर बनाम किशोरीलाल
2. आरआरटी 2012 (1) पेज 112 मीमा बनाम राजस्थान राज्य
3. आरआरडी 2000 पेज 561 दीपा व अन्य बनाम कालूराम

विद्ववान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक विनिश्चयो मे से बिन्दु संख्या 1 व 3 का विनिश्चय मियाद के बिन्दु पर है तथा बिन्दु संख्या 2 मे पारित न्यायिक विनिश्चय तृतीय पक्षकार द्वारा धारा 96 सीपीसी की पालना किये बगैर अपील प्रस्तुत करने के संबंध में है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि खातेदारी भूमि है। जिसमें कोई राजकीय हानि या हित परिलक्षित नही होता है। परिणामतः प्रकरण खातेदारो या निजी व्यक्तियो के मध्य का है। अतः तहसीलदार इस प्रकरण में तृतीय पक्षकार होना पाया जाता है और तृतीय पक्षकार को धारा 96 सीपीसी के तहत अपील से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, जो कि हस्तगत प्रकरण में नही ली गई है।

तहसीलदार नागौर ने अपने अपील के समर्थन में धारा 5 का एक प्रार्थना पत्र तो पेश कर रखा है, लेकिन विधि अनुसार ऐसा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ समर्थित होना राजस्व कोर्ट मैन्यूल भाग प्रथम के नियम 17 (डी) के अनुसार आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी तहसीलदार नागौर ने ऐसा कोई शपथ पत्र अपने मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया। हस्तगत अपील के संलग्न इस प्रकरण में प्रश्नगत नामान्तरकरणो की भी प्रमाणित प्रतियां पेश नही की है। रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूल के भाग द्वितीय के नियम 30 अनुसार अपील के साथ जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही है, की प्रमाणित प्रतियां पेश करनी आज्ञापक है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार उक्त न्यायिक विनिश्चय इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है। परिणामतः अपीलार्थी की अपील अधीन धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या 589 व 590 स्वीकृति दिनांक 25.07.1995 ग्राम पंचायत, मुंदियाड़ पंचायत समिति मूण्डवा बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

आदेश आज दिनांक 29/1/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी,
नागौर

Scanned by CamScanner